पूर्व विधायक एवं सोन अंचल किसान संघर्ष समिति के संयोजक सरयू राय का प्रेस वक्तव्

पटना, २५ नवम्बर २०१३

पूर्व विधायक एवं सोन अंचल किसान संघर्ष समिति के संयोजक सरयू राय सोन नंद जल विवाद पर सोन क्षेत्र के किसानों का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे । इस मामले में आगामी ५ दिसंबर को भारत सरकार द्वारा दायर में मुक़दमे की सुनवाई आगामी ५ दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में होनी है । बिहार सरकार भी सोन अंचल किसानों के हितों की रक्षा के लिये सुप्रीम कोर्ट में किसानों के पक्ष का समर्थन करेगी ।

इस बारे में सरयू राय ने आज बिहार के जल संसाधन विकास मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी से मिले और आग्रह किया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट मे किसानों के पक्ष का समर्थन करें ताकि सोन नहरों के लिये उत्तर प्रदेश के रिहन्द जलाशय में आरक्षित पानी को सिंगरौली स्थित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सरकारी एवं निजी उद्यमों द्वारा स्थापित हो चुके और हो रहे ताप बिजली घरों के चंगुल से मुक्त करा कर सोन नहर इलाक़ा के किसानों के खेतों में लाया जा सके । श्री चौधरी ने अविलम्ब इस विषय पर विभागीय सचिव एवं अभियंतांओं की बैठक बुलाया जिसमें तय हुआ कि बिहार सरकार भी किसानों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा होगी । उन्होंने बताया कि बिहार सरकार ५ दिसंबर के पूर्व इस बारे में केन्द्र सरकार को पत्र लिखेंगी ।

मालूम हो कि सरयू राय ने सोन जल विवाद में बिहार के सोन अंचल के किसानों की ओर से १९९३ में एक जनहित याचिका पटना हाईकोर्ट में दायर किया था जिसकी लम्बी सुनवाई के उपरांत सितम्बर २०११ में किसानों के पक्ष में फ़ैसला आया । पटना उच्च न्यायालय ने भारत सरकार को निर्देश दिया कि वह सोन जल विवाद निबटारा के लिये एक ट्रिब्युनल गठित करे । भारत सरकार ने एक साल तक इस बारे में कोई कारवाई नहीं किया तो सरयू राय ने पटना उच्च न्यायालय में भारत सरकार के ख़िलाँफ एक अवमानना वाद दाख़िल किया । अवमानना की नोटिस जैसे ही भारत सरकार को मिली उसने पटना हाई कोर्ट के फ़ैसला के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में मुक़दमा कर दिया और कहा कि पटना हाईकोर्ट का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट रद्द करे

मुक़दमा के बाद सोन क्षेत्र के सभी जिलों के विभिन्न गाँवों के उन ११६ किसानों को सुप्रीम कोर्ट की नोटिस गयी है कि वे चाहे तो आगामी ५ दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के सामने अपने हक़ की बात रख सकते हैं । सोन नहरों से बिहार के कुल ७ जिलों में क़रीब २२.५० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती है । ये ज़िले हैं - बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमुर, औरंगाबाद, अरवल और पटना । सरयू राय इन सभी जिलों के किसानों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में ५ दिसम्बर को उपस्थित होंगे ।

वस्तुस्थिति यह है कि सोन जल बँटवारा केलिये १९७३ में हुये बाणसागर समझौता मे क़रीब १३९ साल पुरानी नहरों के लिये रिहन्द जलाशय से पानी मिलता था । विगत कुछ वर्षों से उतर प्रदेश की सरकार ने बिहार से पूछे बिना रिहन्द का पानी ताप बिजली घरों को देना शुरु कर दिया । बाद में मध्य प्रदेश भी यही करने लगा । पहले तो रिहन्द का पानी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सरकारी ताप बिजली घरों में जाना शुरु हुआ । अब निजी क्षेत्र के अल्ट्रा मेगा ताप बिजली घरों को भी दिया जाने लगा । अगर यह सिलसिला जारी रहा तो कुछ दिनों के बाद स्थिति यह हो जायेगी कि बिहार की सोन नहरों के लिये रिहन्द जलाशय का एक बूँद पानी भी नहीं मिलेगा |

इस स्थिति को भाँपकर सरयू राय ने इसके विरोध में १९९३ में पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर किया । इस पर हाईकोर्ट ने किसानों के पक्ष में फ़ैसला दिया । इस फ़ैसला के विरोध में भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर

किया है िजसपर आगामी ५ दिसंबर को सुनवाई होनी है ।

ह०/- सरयू राय
Saryu Roy